



2026:AHC:65928

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या-- 4299 वर्ष 2026

योगेश कुमार यादव याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: बृजेश कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., सुचित टंडन

न्यायालय सं - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की है: -

"i) प्रतिपक्षी संख्या-3 और 4 को स्थानांतरण के लिए 28.03.2026 (अनुलग्नक संख्या-6) को गृह क्षेत्र के याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए 10 पसंदीदा स्थान पर विचार करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-3 और 4 को याचिकाकर्ता के दिनांक 23.01.2026 और 10.03.2026 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

2. इससे पहले याचिकाकर्ता ने प्रतिपक्षी संख्या-4 द्वारा रिट ए संख्या-1334 वर्ष 2026 (युगेश कुमार यादव बनाम भारत संघ और 3 अन्य) के रूप में रिट याचिका दायर करके पारित 21.01.2026 के स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उपरोक्त रिट याचिका को अंततः इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा



3 फरवरी, 2026 के अपने निर्णय और आदेश के माध्यम से निपटा दिया गया था।

आदेश इस प्रकार है:-

- "1. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार यादव और प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता श्री विवेक कुमार सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 19.05.2001 को हेड कांस्टेबल विंग-जीडी के पद पर नियुक्त किया गया था और 19.05.2001 से 11.09.2020 तक, रिट याचिकाकर्ता को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था और वर्तमान में, वह वाराणसी में तैनात है। हालांकि, सहायक महानिरीक्षक (स्थापना), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, प्रतिपक्षी संख्या-4 द्वारा पारित दिनांक 21.01.2026 के आदेश के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता को एसजी वाराणसी से एनएलसी नेवेली में स्थानांतरित कर दिया गया है।
3. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, प्रस्तुत रिट याचिका को दायर की गई है।
4. इस न्यायालय ने 02.02.2026 को रिट याचिका पर विचार किया और न्यायालय को निर्देश प्रदान किए गए।
5. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिट याचिका के प्रस्तर-9 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि रिट याचिकाकर्ता का बेटा, पवन कुमार चांदमारी, लोधन (नागाबाबा) शिवपुर, वाराणसी में सीएमजी पब्लिक स्कूल में 12वीं में कक्षा-XII में पढ़ रहा है और इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता को 31.03.2026 तक क्वार्टर को बनाए रखने और स्थानांतरित नहीं करने की अनुमति दी जाए।
6. प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता श्री विवेक कुमार सिंह ने हालांकि उक्त प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उनके अनुसार रिट याचिकाकर्ता का एक वचन पत्र होना है और रिट याचिकाकर्ता को उस अनुरोध का पालन करना है, जिसे वह इस न्यायालय के समक्ष मांग रहा है।
7. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतियों को सुना है और अभिलेखों को ध्यान से देखा है।



8. जाहिर है, रिट याचिकाकर्ता एक हस्तांतरणीय पद रखता है और इस प्रकार रिट याचिकाकर्ता को उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए पारित आदेशों का पालन करना होगा। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका बेटा वाराणसी में बारहवीं कक्षा में पढ़ रहा है और शैक्षणिक सत्र 31.03.2026 को समाप्त होना है। इस प्रकार रिट याचिका पर निम्नलिखित शब्दों में निर्णय लिया जा रहा है:-

(ए) रिट याचिकाकर्ता को 17.02.2026 तक वाराणसी में तत्काल वरिष्ठ के समक्ष एक वचन पत्र और एक हलफनामा प्रदान करना है।

(बी) 03.04.2026 तक क्वार्टर खाली करने के साथ-साथ स्थानांतरित स्थान में शामिल होने के लिए उपक्रम प्रस्तुत करने पर, रिट याचिकाकर्ता को 31.03.2026 तक वाराणसी में रखा जाएगा।

(सी) 31.03.2026 तक, रिट याचिकाकर्ता को स्थानांतरित स्थान पर शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(डी) रिट याचिकाकर्ता को इस प्रकार प्रदान किया गया संरक्षण शर्तों और समय-सीमा को पूरा करने के अध्यक्षीन है और इसके किसी उल्लंघन के मामले में, इस प्रकार प्रदान की गई सुरक्षा पीठ के संदर्भ के बिना खाली हो जाएगी।

(एफ) स्थानान्तरित स्थान में शामिल होने के अध्यक्षीन, रिट याचिकाकर्ता के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार खुला रहेगा।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

3. यह तर्क दिया गया है कि पूर्वोक्त के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा हलफनामा के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्रति रिट याचिका में अनुलग्नक-8 के रूप में संलग्न है।

4. उपरोक्त वचन पत्र में कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2026 को पारित निर्णय और आदेश का अक्षरशः पालन करेगा।



5. दिनांक 03.02.2026 के निर्णय और आदेश में, याचिकाकर्ता को यह वचन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था कि वह क्वार्टर खाली करने के साथ-साथ 03.04.2026 तक स्थानांतरित स्थान में शामिल हो जाएगा, याचिकाकर्ता को 31.03.2026 तक वाराणसी में रखा जाएगा। अब याचिकाकर्ता फिर से इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा 28.03.2026 को गृह क्षेत्र को दिए गए 10 विकल्प पर विचार करने की प्रार्थना के साथ आया है।

6. ऊपर बताए गए तथ्यों के अवलोकन से यह पता चलता है कि स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने रिट ए संख्या-1334 वर्ष 2026 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसे अंततः इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से निपटा दिया था। उपरोक्त निर्णय द्वारा, याचिकाकर्ता को 17.02.2026 तक वाराणसी में तत्काल वरिष्ठ के समक्ष एक वचन पत्र और एक हलफनामा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता क्वार्टर खाली करने के साथ-साथ 03.04.2026 तक स्थानांतरित स्थान में शामिल हो जाएगा और उसे केवल 31.03.2026 तक अपनी तिमाही में ही रखा जाएगा। उपरोक्त निष्कर्ष उपरोक्त निर्णय के प्रस्तर-8 में दर्ज किए गए थे, जिसे पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है।

7. यह स्वीकार किया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा अधिकारियों के समक्ष एक वचन पत्र पहले ही दिया जा चुका है।

8. मामले के इस दृष्टिकोण में, न्यायालय की राय है कि प्रस्तुत रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत को विशेष रूप से दिनांक 03.02.2026 के निर्णय और आदेश के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन को देखते हुए नहीं दिया जा सकता है।

9. योग्यता से रहित रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

10. यह आदेश प्रतिपक्षियों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता श्री सुचित टंडन की उपस्थिति में पारित किया गया है।

मार्च 30, 2026

स्वाति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!